

1

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर
(ग्रामीण विकास अनुभाग-7)

विषय:—राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों विषयक परिपत्रों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—वित्त (SPFC) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.09.2016, 21.12.2016 एवं 31.03.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है सन्दर्भित पत्र में वर्णित परिपत्र आपको आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

SPM(Adm)

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार

1. एस.एम.डी. (आर.आर.एल.पी.)
2. संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.) ग्रावि.वि.विभाग
3. परियोजना निदेशक एसएपी-1/II/ईजीएस/एम.एण्ड.ई./एल.पी.एण्ड.एस.एच.जी.
4. अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि.वि.
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफयूल
6. परियोजना निदेशक, एम. पावर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) समस्त (राजस्थान)

अ.शा.टीप क्रमांक: प.13(6)(9)/ग्रावि.वि./ग्रुप-7/2015-16 / 5307
जयपुर दिनांक 21.4.17

Sh. Ramesh.
सर्व DPM के सिर्कुलेट
21/4/17

